



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

जयपुर हाउस आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण की कालिन्दी विहार, शास्त्रीपुरम एवं ताजनगरी द्वितीय चरण योजनाओं में भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

पंजीकरण दिनांक ८/11/2018 से दिनांक ८/12/2018 तक


क्र०	योजना	फेस/ सैक्टर	सम्पत्ति श्रेणी	कुल भूखण्डों सं०	भूखण्ड का मानक क्षेत्रफल	प्रति सम्पत्ति मूल्य	10% पंजीकरण धनराशि आवेदन के साथ (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कालिन्दी विहार	ए	एच०आई०जी०	01	162	1960200	196020
2.	कालिन्दी विहार	ए	एम०आई०जी०	02	112	1355200	135520
3.	कालिन्दी विहार	ए	एम०एम०आई०जी०	01	90	1089000	108900
4.	कालिन्दी विहार	ए	एम०एम०आई०जी०	01	72	871200	87120
5.	कालिन्दी विहार	ए	ई०डब्ल्यू०एस०	07	27	252450	25245
6.	कालिन्दी विहार	सी	एच०आई०जी०	02	200	2420000	242000
7.	कालिन्दी विहार	सी	एच०आई०जी०	05	162	1960200	196020
8.	कालिन्दी विहार	सी	एच०आई०जी०	01	361.95	4379595	437960
9.	कालिन्दी विहार	सी	एम०एम०आई०जी०	01	90	1089000	108900
10.	कालिन्दी विहार	सी	ई०डब्ल्यू०एस०	03	31.5	294525	29453
11.	कालिन्दी विहार	सी-1	एच०आई०जी०	01	162	1960200	196020
12.	कालिन्दी विहार	सी-1	एच०आई०जी०	01	202.5	2450250	245025
13.	कालिन्दी विहार	सी-1	एच०आई०जी०	01	317.01	3835821	383582
14.	कालिन्दी विहार	डी	एम०एम०आई०जी०	01	100.33	1213993	121399
15.	कालिन्दी विहार	डी	ई०डब्ल्यू०एस०	01	27	252450	25245
16.	कालिन्दी विहार	ई	एल०आई०जी०	01	60	561000	56100
17.	ताजनगरी द्वितीय चरण	एफ	ई०डब्ल्यू०एस०	03	27	311850	31185
18.	शास्त्रीपुरम योजना	ए	एम०आई०जी०	01	120	1452000	145200
19.	शास्त्रीपुरम योजना	बी-2	एम०एम०आई०जी०	01	90	1089000	108900
20.	शास्त्रीपुरम योजना	सी-1	एम०एम०आई०जी०	03	90	1089000	108900
21.	शास्त्रीपुरम योजना	सी-1	ई०डब्ल्यू०एस०	01	27	311850	31185
22.	शास्त्रीपुरम योजना	ई	एच०आई०जी०	01	162	1960200	196020

23.	शास्त्रीपुरम योजना	ई	एम0आई0जी0	02	90	1089000	108900
24.	शास्त्रीपुरम योजना	ई	एल0आई0जी0	01	44.4	512820	51282
25.	शास्त्रीपुरम योजना	ई	ई0डब्ल्यू0एस0	01	27	311850	31185
26.	शास्त्रीपुरम योजना	ई	ई0डब्ल्यू0एस0	01	35.1	405405	40541
27.	शास्त्रीपुरम योजना	एफ	एम0एम0आई0जी0	01	90	1089000	108900
28.	शास्त्रीपुरम योजना	एफ	एल0आई0जी0	02	60	693000	69300
योग				48	-	-	-


प्रमुख शर्त :-

1. आवंटन के नियम/शर्त/भुगतान शैड्यूल पंजीकरण पुस्तिका में दी गयी है।
2. पंजीकरण पुस्तिका प्राधिकरण कार्यालय, जयपुर हाउस, आगरा में स्थित यूनियन बैंक आफ इण्डिया की शाखा से ₹0 560/- (जी0एस0टी0 सहित) नकद जमा कराकर दिनांक / /2018 से प्राप्त की जा सकती है।
3. किसी भी सम्पत्ति श्रेणी में विशिष्ट सम्पत्ति के लिये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. सम्पत्ति का आवंटन जैसा है, जहाँ है, के आधार पर किया जायेगा।
5. पंजीकरण फार्म निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक / /2018 तक कॉलम-8 में अंकित पंजीकरण शुल्क (डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा कैश) के साथ प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक आफ इण्डिया की शाखा में जमा कराना होगा।
6. आवेदन ऑन लाइन के माध्यम से भी किया जा सकता है।
7. सम्पत्ति आवंटन पर 25 प्रतिशत आवंटन धनराशि (पंजीकरण धनराशि का समायोजन करते हुये) सम्पत्ति मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क अतिरिक्त मॉग के अनुसार आवंटन पत्र की तिथि से 01 माह में तथा अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 05 वर्ष (एच0आई0जी0, एम0आई0जी0, एम0एम0आई0जी0), 10 वर्ष (एल0आई0जी0, ई0डब्ल्यू0एस0) की त्रैमासिक किश्तों में ब्याज सहित देय होगी।
8. आरक्षण श्रेणी में आने वाले आवेदक भूखण्ड के पंजीकरण हेतु 10 प्रतिशत धनराशि के स्थान पर 05 प्रतिशत धनराशि जमा करा सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि आरक्षित आवेदक दूसरे प्रान्त का है और वह उत्तर प्रदेश की आरक्षण श्रेणी में नहीं आता है तो आवेदक का पंजीकरण सामान्य श्रेणी में माना जायेगा और इस हेतु 10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि जमा करानी होगी।
9. सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
10. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की दशा में निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. ई0डब्ल्यू0एस0 हेतु ₹0 3,00,000/- व एल0आई0जी0 हेतु ₹0 6,00,000/- वार्षिक आय अनुमन्य है। आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
12. पंजीकरण धनराशि जमा कराये जाने हेतु आगरा विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaagra.in पर जाकर ई-चालान प्राप्त कर उसे प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने होंगे।

उक्त शर्तों का अवलोकन एवं ऑन-लाईन पंजीकरण प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaagra.in पर भी किया जा सकता है। पंजीकरण के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्यशील दिवस में सम्पत्ति अनुभाग कक्ष संख्या-34 से प्राप्त की जा सकती है।


संयुक्त सचिव


सचिव


उपाध्यक्ष



आगरा विकास प्राधिकरण,

जयपुर हाउस आगरा।

फतेहाबाद रोड स्थित ताजनगरी द्वितीय चरण योजना के अन्तर्गत निर्मित ए.डी.ए. हाईट्स में तुरन्त निवास हेतु तैयार फ्लैट्स इच्छानुसार प्रथम आवत-प्रथम पावत के आधार पर प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर दिनांक 6/11/19 से अग्रिम आदेशों तक

क्र० सं०	फ्लैट श्रेणी	आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैटों की संख्या	क्षेत्रफल (सुपर एरिया) वर्गमीटर में	अनुमानित क्षेत्रफल (सुपर एरिया) दर रू० 3300/- वर्गफीट में	मूल्य	10 % पंजीकरण धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	स्टूडियो	80	80.10	862.00	28,45,000/-	2,84,500/-
2	डीलक्स	80	142.17	1530.00	50,49,000/-	5,04,900/-
3	सुपर डीलक्स-1	38	181.41	1952.00	64,42,000/-	6,44,200/-
4	सुपर डीलक्स-2	42	223.53	2406.00	79,39,000/-	7,93,900/-
5	अल्ट्रा डीलक्स	15	260.14	2800.00	92,40,000/-	9,24,000/-

नोट:-रिक्त फ्लैटों की संख्या घट बढ़ सकती है।

भुगतान विवरण:-

1. मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि के भुगतान पर फ्लैट के कब्जे की सुविधा।
2. 10 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण के समय, 15 प्रतिशत धनराशि आवंटन के समय एवं अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 5 वर्ष की 20 समान तिमाही किश्तों में ब्याज सहित जमा कराये जाने की सुविधा।
3. कम सं० 2 से 5 तक के फ्लैट आवंटियों को रू० 2,12,000/- के भुगतान पर अनिवार्य, कवर्ड बेसमेन्ट पार्किंग की सुविधा।
4. फ्लैटों का आवंटन 90 वर्ष के पट्टे पर है, जिसके लिये भूमि के मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि पट्टा किराये के रूप में अतिरिक्त देय होगी।
5. टॉप तीन फ्लोर पर अनिवार्य सोलर सिस्टम की सुविधा।
6. नियमानुसार जी.एस.टी. का भुगतान करना होगा।

मुख्य आकर्षण:-

1. प्राइम लोकेशन पर स्थित (निकट विश्व विख्यात ताजमहल एवं आगरा किला)
2. वर्तमान में लगभग 250 फ्लैटों में रिहायश।
3. पूर्णरूप से विकसित हरा-भरा पार्क, 4. 24 घन्टे जलापूर्ति, 5. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, 6. सीवरेज सिस्टम (एस.टी.पी. सहित), 7. क्लब हाउस स्वीविंग पूल उपलब्ध, 8. बच्चों के झूले हेतु स्थल, 9. सुरक्षा हेतु गेट पर सुरक्षा गार्ड तथा बूम बैरियर एवं सी.सी. टी.वी. कैमरा 10. लेण्ड स्केपिंग एरिया 18 प्रतिशत से अधिक, 11. ग्राउण्ड कवरेज 15 प्रतिशत से कम, 12. हाई स्पीड लिफ्टे, 13. कॉमन सर्विसेज हेतु 24 घन्टे पॉवर बैकअप पावर सी.एन.जी. द्वारा, 14. विक्ट्रीफाईड टाईल्स फ्लोरिंग। 15. वर्तमान में अनुरक्षण शुल्क के साथ प्राधिकरण द्वारा आवश्यक अनुरक्षण सुविधायें उपलब्ध 16. ताजनगरी फेस-2 में लोहिया पार्क से लगभग 200 मीटर की दूरी पर तथा प्रस्तावित ताज पार्क (ट्राईडेंट तिराहा फतेहाबाद रोड) से 1.50 कि०मी० एवं इनर रिंग रोड फतेहाबाद सेक्शन से 5 कि०मी० 17. प्रस्तावित अन्तराष्ट्रीय कैफे, माल रोड (पी.ए.सी. ग्राउण्ड) से 5 मिनट की दूरी पर।
18. उक्त पंजीकरण इच्छानुसार प्रथम आवत-प्रथम पावत के आधार पर खोला जा रहा है। रिक्त फ्लैट्स संख्या की सूची पंजीकरण पुस्तिका के साथ संलग्न है। एक फ्लैट के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में फ्लैट का आवंटन प्राप्त आवेदनों के मध्य लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। फ्लैट का आवंटन प्रत्येक सोमवार को किया जायेगा। सोमवार को अवकाश होने की दशा में आगामी कार्य दिवस में फ्लैट का आवंटन किया जायेगा।
19. पंजीकरण धनराशि जमा कराये जाने हेतु आगरा विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.in पर जाकर ई-चालान प्राप्त कर उसे प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में जमा कराना होगा।

इच्छुक आवेदक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आगरा विकास प्राधिकरण की जयपुर हाउस शाखा से कुल रू० 1680/- के भुगतान पर पंजीकरण पुस्तिका क्रय कर एवं निर्धारित पंजीकरण धनराशि जमा कराकर नियमानुसार अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाईन पंजीकरण के लिये WWW.adaagra.in पर आवेदन किया जा सकता है। अन्य नियम/शर्तें पंजीकरण पुस्तिका में उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी प्राधिकरण कार्यालय कक्ष सं० 34 से ज्ञात की जा सकती है।

संयुक्त सचिव/प्रमारी सम्पत्ति

सचिव

उपाध्यक्ष



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

जयपुर हाउस आगरा

प्राधिकरण की यातायात नगर योजना में (केवल ट्रान्सपोटर्स के लिये) भूखण्ड प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर नीलामी सूचना

स्थल:- नवीन सभागार, प्रथम तल, नई बिल्डिंग प्राधिकरण कार्यालय।

समय:- 12:00 बजे

दिनांक:- 27/11/18

क्र० सं०	योजना	फेस/सेक्टर	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल (व०मी०)	अनुमन्य उपयोग	आरक्षित दर (रु० प्र.व.मी.)	धरोहर राशि 10 प्रतिशत (लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	यातायात नगर	3	सी-23, 27, 29, 30, 31, 33, 43, 46, 56, 64,	5.58	व्यवसायिक	27000	0.15
2	यातायात नगर	3	129	408.76	व्यवसायिक	32000	13.08
3	यातायात नगर	3	82, 84	250.83	व्यवसायिक	32000	8.03
4	यातायात नगर	3	147, 149, 150, 153ए, 153बी, 153डी 153ई, 154, 74, 74ए, 75	167.22	व्यवसायिक	32000	5.35
5	यातायात नगर	3	174, 175, 176, 177, 178, 179, 179ए, 179बी, 179सी, 179डी, 180, 181, 162, 162ए	272.54	व्यवसायिक	32000	8.72
6	यातायात नगर	5	15	252.22	व्यवसायिक	32000	8.07
7	यातायात नगर	5	17	252.92	व्यवसायिक	32000	8.09
8	यातायात नगर	5	19	253.62	व्यवसायिक	32000	8.12
9	यातायात नगर	6	145, 372, 193	18.58	व्यवसायिक	32000	0.59
रिक्त भूखण्डों की सं०			44				

नोट:-

- नीलामी प्रपत्र (विस्तृत नियम व शर्तें) प्राधिकरण में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में रु० 1120/- जमा करवाकर प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग कक्ष सं० 34 में प्राप्त किये जा सकते हैं।
- भूखण्ड कॉर्नर होने पर 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
- रिक्त सम्पत्ति में शासनादेश के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- ग्राउण्ड कवरेज/एफ.ए.आर./ऊचाई (मी०) भवन उपविधि के अनुसार।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ट्रान्सपोटर्स का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- धरोहर राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर के रूप में स्वीकार होंगे।
- आवेदन पत्र में ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल एवं मोबाईल नम्बर दिया जाना आवश्यक है। चूंकि आवंटन के पश्चात समय-समय पर बकाया आदि से सम्बन्धित वॉछित सूचनायें आवंटि को ई-मेल एवं एस.एम.एस. अलर्ट के माध्यम से मोबाईल पर उपलब्ध करायी जायेंगी। तत्पश्चात इसी आधार पर बकायेदारों की आवंटित सम्पत्ति के आवंटन को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्षता आगरा विकास प्राधिकरण को सुरक्षित होगा, जिस पर कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- आवेदक द्वारा नीलामी से पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कराकर भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित नीलामी शर्तों का पूर्ण रूपेण अध्ययन कर सहमति की दशा में नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- सम्पत्ति का आवंटन जैसा है, जहाँ है, की स्थिति के अनुसार किया जायेगा। सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- उपरोक्त शर्तों का अवलोकन प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaagra.in पर भी किया जा सकता है। नीलामी के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्यशील दिवस में सम्पत्ति अनुभाग कक्ष सं० 34 से प्राप्त की जा सकती है।

संयुक्त सचिव

सचिव

उपाध्यक्ष

आगरा विकास प्राधिकरण, जयपुर हाउस आगरा

प्राधिकरण की ताजनगरी प्रथम चरण व द्वितीय चरण, कालिन्दी विहार, शास्त्रीपुरम व नेहरू एन्कलेव में व्यवसायिक, ग्रुप हाउसिंग, होटल के भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर नीलामी सूचना

स्थल:- नवीन सभागार, प्रथम तल, नई बिल्डिंग आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय।

दिनांक:- 29/11/2018

समय:- 12:00 बजे

क्र०सं०	योजना	फेस/सेक्टर	भूखण्ड संख्या	प्रत्येक भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्र (वर्गमी०)	अनुमन्य उपयोग	आरक्षित दर (रु०/व.मी.)	धरोहर राशि (रु० लाख में) 10 प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1.	शास्त्रीपुरम् योजना	बी	1	246.61	लोकल शॉप	26181.00	6.46
2.	शास्त्रीपुरम् योजना	बी-1	सी-2ए	1834.50	व्यावसायिक	26181.00	48.03
3.	शास्त्रीपुरम् योजना	बी-1	सी-2बी	1147.50	व्यावसायिक	26181.00	30.04
4.	शास्त्रीपुरम् योजना	बी-1	सी-2सी	1497.00	व्यावसायिक	26181.00	39.19
5.	शास्त्रीपुरम् योजना	सी-1	2	746.40	फैसिलिटीज	26181.00	19.54
6.	शास्त्रीपुरम् योजना	सी-1	1	1267.27	फैसिलिटीज	26181.00	33.18
7.	शास्त्रीपुरम् योजना	सी-2	1	2779.25	फैसिलिटीज	26181.00	72.76
8.	शास्त्रीपुरम् योजना	ई	ई-2ए	2465.93	कम्यूनिटी सेक्टर	26181.00	64.56
9.	शास्त्रीपुरम् योजना	ई	ईसी-1	3132.19	व्यावसायिक	26181.00	82.00
10.	शास्त्रीपुरम् योजना	एफ	1	3276.12	व्यावसायिक	26181.00	85.77
11.	कालिन्दी विहार योजना	सी	1	1276.262	व्यावसायिक	26181.00	33.41
12.	कालिन्दी विहार योजना	ए	1	663.00	फैसिलिटीज	26181.00	17.36
13.	कालिन्दी विहार योजना	ए	1	1090.54	व्यावसायिक	26181.00	28.55
14.	कालिन्दी विहार योजना	जी	जी.एच.1	2277.60	ग्रुप हाउसिंग	26181.00	59.63
15.	कालिन्दी विहार योजना	डी	1	298.28	लोकल शॉप	26181.00	7.81
16.	कालिन्दी विहार योजना	डी	2	247.45	लोकल शॉप	26181.00	6.48
17.	कालिन्दी विहार योजना	एफ	एफ-2	2183.69	होटल	26181.00	57.17
18.	कालिन्दी विहार योजना	एफ	एफ-3	2788.55	कम्यूनिटी हॉल/बारात घर	26181.00	73.00
19.	कालिन्दी विहार योजना	एफ	एफ-4	1996.27	बैंक	26181.00	52.26
20.	कालिन्दी विहार योजना	एच	1	866.88	कन्वीनिएन्ट शॉप	26181.00	22.70
21.	ताजनगरी फेस-1	-	01 से 10	9.00	व्योस्क भूखण्ड	90000.00	81.00
22.	ताजनगरी फेस-2	ए	ए-96	229.44	कन्वीनिएन्ट शॉप	28381.00	6.52
23.	ताजनगरी फेस-2	ए	ए-1	375.34	कन्वीनिएन्ट शॉप	28381.00	10.66
24.	ताजनगरी फेस-2	ई-1	1	665.79	कन्वीनिएन्ट शॉप	28381.00	18.90
25.	नेहरू एन्कलेव	-	26ए	836.12	व्यावसायिक	28400.00	23.75

नोट:-

- नीलामी प्रपत्र (विस्तृत नियम व शर्तों) प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में रु० 1120/- जमा करवाकर प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग कक्ष सं० 34 से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- भूखण्ड कॉर्नर होने पर 10 प्रतिशत कार्पर शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
- रिक्त सम्पत्ति में शासनपदेश में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा। आरक्षित आवेदकों को बोली से पूर्व अधिकृत आरक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- रिक्त सम्पत्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।
- ग्राउण्ड कवरेज/एफ.ए.आर./ऊँचाई (मी०) भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य होगी।
- धरोहर राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर के रूप में स्वीकार्य होंगे।
- आवेदन पत्र में ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर दिया जाना आवश्यक है। बैंकिंग आवंटन के पश्चात् समय-समय पर बकाया आदि से सम्बन्धित वांछित सूचनाएँ आवंटन को ई-मेल पर एवं एस.एम.एस. अलर्ट के माध्यम से मोबाईल पर उपलब्ध करायी जायेंगी। तत्पश्चात् इसी आधार पर बकायेदारों की आवंटित सम्पत्ति के आवंटन को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण को सुरक्षित होगा, जिस पर कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- आवेदक द्वारा नीलामी से पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कराकर भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित नीलामी शर्तों का पूर्ण रूपेण अध्ययन कर सहमति की दशा में ही नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- सम्पत्ति का आवंटन जैसा है, जहाँ है, की स्थिति के अनुसार किया जायेगा।
- उपरोक्त शर्तों का अवलोकन प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaagra.in पर किया जा सकता है। नीलामी के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्यशील दिवस में सम्पत्ति अनुभाग कक्ष सं० 34 से प्राप्त की जा सकती है।

संयुक्त सचिव

सचिव

उपाध्यक्ष



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा शहर में कार्यरत केवल पेठा निर्माताओं के पेठा व्यवसाय को पुर्नस्थापित करने हेतु पेठा नगरी में भूखण्ड प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

पंजीकरण दिनांक ६/११/२०१९ से दिनांक २/१२/२०१९ तक

मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्राधिकरण की कालिन्दी विहार योजना के सेक्टर बी में पेठा उद्योग स्थानान्तरित कराने हेतु आगरा शहर के वर्तमान पेठा निर्माताओं को पट्टे पर भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण आमन्त्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदक दिनांक से दिनांक..... तक किसी भी बैंक कार्य दिवस में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, ए.डी.ए. शाखा, आगरा में रु० 560/- अदा कर पंजीकरण पुस्तिका जिसमें आवेदन पत्र एवं शर्तें आदि विवरण अंकित है, प्राप्त कर नियमानुसार पंजीकरण राशि सहित अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप पर जमा कर सकते हैं। भूमि की दर रु० 13,666/- प्रति वर्ग मी० है। भूखण्डों का विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

क्र०सं०	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	संख्या	प्रति भूखण्ड मूल्य	पंजीकरण की धनराशि (रु०)	उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	200	39	27,33,200/-	2,73,320/-	पेठा उद्योग परन्तु प्रथम तल पर आवास भी अनुमन्य
2.	144	05	19,67,904/-	1,96,790/-	
3.	96	18	13,11,936/-	1,31,194/-	

1. आगरा-हाथरस एवं आगरा-फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले 100 फीट मास्टर प्लान रोड से जुड़ी पूर्णतः विकसित योजना में भूखण्ड कब्जा हेतु तैयार।
2. किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत भूमि के मूल्य की 40 प्रतिशत धनराशि एवं लीज रेन्ट 10 प्रतिशत जमा करने एवं कब्जा अनुबन्ध के पश्चात् तुरन्त भूखण्ड का कब्जा, मूल्य की शेष 60 प्रतिशत धनराशि ब्याज सहित 3 वर्ष में 12 समान त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
3. नगद भुगतान आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 2 माह के अन्दर देय होगी।
4. भूखण्डों की संख्या घट-बढ़ सकती है एवं आवंटन जैसा है, जहाँ है के आधार पर होगा।
5. आवेदक पेठा लाइसेन्स धारक हो। व्यापार कर/आय कर एवं प्रदूषण बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
6. भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
7. रिक्त सम्पत्ति में शासनादेश के अनुसार आरक्षण देय होगा।
8. प्रत्येक माह में प्राप्त पंजीकरण आवेदनों की लॉटरी आगामी माह के प्रथम सप्ताह में।
9. पंजीकरण धनराशि जमा कराये जाने हेतु आगरा विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaagra.in पर जाकर ई-चालान प्राप्त कर उसे प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में जमा कराने होंगे।
10. आवेदन पत्र में ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर दिया जाना आवश्यक है। चूँकि आवंटन के पश्चात् समय-समय पर बकाया आदि से सम्बन्धित वांछित सूचनायें आवंटी को ई-मेल पर एवं एस.एम.एस. अलर्ट के माध्यम से मोबाईल पर उपलब्ध करायी जायेंगी। तत्पश्चात् इसी आधार पर बकायेदारों की आवंटित सम्पत्ति के आवंटन को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण को सुरक्षित होगा, जिस पर कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

इच्छुक आवेदक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया स्थित ए.डी.ए. शाखा से रु० 560/- के भुगतान पर पंजीकरण पुस्तिका क्रय कर एवं निर्धारित पंजीकरण धनराशि जमा करारक नियमानुसार अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिये वेबसाईट www.adaagra.in पर आवेदन किया जा सकता है। अन्य नियम/शर्तें पंजीकरण पुस्तिका में उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी प्राधिकरण कक्ष सं० 34 से की जा सकती है।

संयुक्त सचिव

सचिव

उपाध्यक्ष





आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

रजिस्ट्री कैम्प हेतु सूचना

आवंटियों की सुविधा के लिये आगामी दिनांक 31 मार्च 2019 तक आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय के सम्पत्ति अनुभाग कक्ष सं0 34 में प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को प्रातः 11:00 बजे प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भवनों/भूखण्डों एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों के विक्रय विलेख/पट्टा विलेख/कब्जा अनुबन्ध हेतु कैम्प आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 10 एवं 25 को अवकाश होने की दशा में आगामी कार्य दिवस को कैम्प आयोजित होगा। अतः आवंटियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी सम्पत्ति से सम्बन्धित मूल कागजात, जमा धनराशि की मूल रसीदें एवं वांछित धनराशि के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर (सब रजिस्ट्रार कार्यालय से ज्ञात कर), 10 फोटो तथा हस्ताक्षर व फोटो पुष्टि बतौर पहचान पत्र सम्बन्धी प्रपत्रों के साथ किसी भी कार्यशील दिवस में प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग कक्ष सं0 34 में उपस्थित होकर क्रमशः प्रत्येक माह की 05 एवं 20 तारीख तक रजिस्ट्री से सम्बन्धी वांछित औपचारिकतायें पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि ऐसे आवंटियों की रजिस्ट्री उनके पक्ष में प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को आयोजित किये जा रहे कैम्प के दौरान निष्पादित करायी जा सके।

उपरोक्त के क्रम में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उन समस्त आवंटियों/बकायेदारों को जिनकी किश्तों की निर्धारित देयता अवधि समाप्त हो चुकी है उन आवंटियों/बकायेदारों को एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि समस्त बकायेदार अपनी बकाया धनराशि तक प्राधिकरण कोष में जमा करा कर अपनी सम्पत्ति का विलेख अपने पक्ष में निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा नियमानुसार बकायेदारों की सम्पत्तियों के आवंटन को निरस्त कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आवंटियों का ही होगा।


संयुक्त सचिव


सचिव